

कार्यालय : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर

क्रमांक : 72

दिनांक : 28.11.2023

-: कार्यालय आदेश :-

मैं, **मांडवी राजवी**, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01/06/2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को **माह दिसम्बर, 2023 व दिनांक 01.01.2024 हेतु** आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दंप्रसं के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(कार्यालय समय 11 ए.एम. से 1.30 पी.एम तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52-क के तहत इन्वेन्ट्री हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूं।

माह दिसम्बर, 2023 व दिनांक 01.01.2024 हेतु -

1.	03.12.2023	श्रीमती स्वाति चौधरी	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 08, जोधपुर महानगर	8386800148
2.	09.12.2023 10.12.2023	श्रीमती टिंकल	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 03, जोधपुर महानगर	8860512838
3.	17.12.2023 23.12.2023	श्री अंजय सिंघारिया	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 06 जोधपुर महानगर	97240 09046
4.	24.12.2023 25.12.2023	श्री रविन्द्र छाबा	महानगर मजिस्ट्रेट (शहर), जोधपुर महानगर	9712967071
5.	31.12.2023 01.01.2024	श्रीमती दिव्या गोदारा	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 01 जोधपुर महानगर	7597700816

नोट : उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे -

1.	03.12.2023 23.12.2023	श्रीमती ज्योत्सना मीणा	विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी) जोधपुर महानगर	8290595500
2.	09.12.2023 10.12.2023	शाइस्ता लोधी	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8, जोधपुर महानगर	9529155244
3.	17.12.2023	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 6, जोधपुर महानगर	9521111457
4.	24.12.2023 25.12.2023	डॉ. रामचन्द्र चौहान	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2, जोधपुर महानगर	9414534882
5.	31.12.2023 01.01.2024	श्री प्रकाशचंद्र मीणा	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 5, जोधपुर महानगर	9694750325

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्लिजम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट :

(ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का